अग्रणी होम्स ने लौटाए बुकिंग के 1.40 करोड़

राज्य ब्यूरो, पटना : राजधानी में फ्लैट बुक कराने वालों की शिकायत पर रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का शिकंजा बिल्डरों पर कसने लगा है। रेरा की कार्रवाई के बाद अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को पांच वर्ष पूर्व फ्लैट बुक कराने वाले 17 लोगों को फ्लैट नहीं देने की शिकायत पर 1.40 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं। शनिवार को भी 50 लाख रुपये और लौटाने के भरोसा दिया है।

रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह, सदस्य आरबी सिन्हा और एसबी सिन्हा की पूर्ण पीठ के आदेश के बाद बिल्डर ने यह पहल की है।

बता दें कि अग्रणी ग्रुप ने पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित 13 कट्ठा जमीन 13 करोड़ रुपये में रूबन पाटलीपुत्र हॉस्टिपल ग्रुप को बेच कर फ्लैट बुक कराने वालों को पैसा लौटाने का भरोसा रेरा को दिया था। ऐसे में रेरा ने बिल्डर को जमीन के सौदे से संबंधित एकरारनामा के दस्तावेज भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अग्रणी ग्रुप के एमडी को स्वयं उपस्थित होकर सौदा संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा। पाटलिपुत्र में बेची गई जमीन की पूरी राशि रेरा के खाते में जमा करानी होगी।

रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा बताया कि बार-बार आदेश के बावजूद अग्रणी होम्स शिकायतकर्ताओं का पैसा लौटाने में हीलाहवाली कर रहा है।

ऐसे में अब अग्रणी होम्स को दो-दो करोड़ का दो चेक तत्काल रेरा के बैंक खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा आलोक कुमार का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। अन्य निदेशकों का भी पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि ज्यादातर निदेशक आलोक के परिवार के सदस्य हैं।

क्या है मामला : अग्रणी होम्स के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके 450 से ज्यादा खरीदारों ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई है। पिछले साल अक्टूबर में ही रेरा अग्रणी होम्स के सभी प्रोजेक्ट पर रोक लगा चुका है। कंपनी को फ्लैट की बुकिंग के नाम पर ली गई राशि को लौटाने का आदेश दिया था। कई बार मौका देने के बाद कंपनी फ्लैट बुक कराने वालों का पैसा वापस नहीं कर रही थी।

450 से ज्यादा खरीदारों ने रेरा में दर्ज करा रखा है मुकदमा

रेरा के कठोर रुख

- एमडी आलोक कुमार के पासपोर्ट जब्त निदेशकों को जमा कराने का आदेश
- बिल्डर को एकरारनामा व दस्तावेज भी प्रस्तुत करने का निर्देश

अग्रणी होम्स के 25 प्रोजेक्ट में 450 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी है। रेरा लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहा है। पहले ही इसके सभी प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जा चुकी है। कंपनी को शिकायतकर्ताओं का पैसा लौटाना होगा।

– **अफजल अमानुल्लाह**, अध्यक्ष, रेरा बिहार